हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पर दी) नकीब (वादी) की ओर से निवेदन किया कि विपक्षीगण को [illegible] (वा. नं. 54.3) 145/2019 धारा 107/151 दं.प्र.सं. के तहत पाबन्द किया गया था। उक्त कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.8.19 को [illegible] पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील [illegible] में दायर की गई थी। अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 14.8.19 को [illegible] अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14.8.19 को [illegible] निरस्त कर दिया गया था। अपील न्यायालय के निर्णय की [illegible] प्रति प्रस्तुत की है। [illegible] अपील न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में [illegible] पारित किया जाना है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)